न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

केसल संख्या 24/2022 — तारीख दायरा 11/07/2022 — तारीख फैसला 17.02.2026

तोला देवी पत्नि शिवनारायण जाति कलाल निवासी टीचर्स कोलोनी, केशवपुरा ला कोटा (राज.)

बनाम — प्रार्थी

वन विभाग जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनमण्डल खातोली, जिला कोटा (राज.)
राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

अप्रार्थीगण

र्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार बंसल एड0।
प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवम् कब्जे ारत मे ग्राम मियाना पटवार हल्का मियाना तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल ; खसरा संख्या 578 रकबा 3.76 है. भूमि स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में विवादित भुमि हा गया हैं। प्रार्थी विवादित भूमि की आधिपत्यधारी होकर, विवादित भूमि का सतत एवं र्बाध उपयोग उपभोग करती हुयी चली आ रही है। अप्रार्थी क्रम 1 विवादित भूमि के मीपवर्ती भूमि के खातेदार है। प्रार्थी क्रम 1 एवम् उनके अधीनस्थों द्वारा पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुये अवैध रूप से, प्रार्थी के खाते एवम् कब्जे की विवादित भूमि के उपयोग–उपभोग में व शांतिपूर्वक कृषि कार्य करने में बाधा एवम् व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है तथा अपार्थीक्रम 1 एवम् उनके अधीनस्थ प्रार्थी को विवादित भूमि पर से अवैध रूप से वंचित करने पर आमादा है। जबकि अप्रार्थीगण अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति को विवादित भुमि से कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है। दिनाँक 12.04.2022 को अप्रार्थी कम 1 के अधीनस्थ कार्मिको द्वारा जबरन प्रार्थी के स्वामित्व एवम् कब्जे की विवादित भुमि मे जबरन अवैध कब्जा करने की नियत से प्रवेश करने का अवैध रूप से प्रयास किया गया तथा प्रार्थी को बेकब्जा करने की धमकी दी गई कि विवादित भूमि पर प्रार्थी को फसल पैदा नही करने देंगे। इसलिऐ प्रार्थी के लिऐ माननीय न्यायालय के समक्ष मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। तदर्थ श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम द्रष्ट्या मामला बनता है क्योंकि प्रार्थी विवादित भुमि की काबिज खातेदार कृषक है, अपार्थीगण को विवादित भुमि में प्रार्थी के शांतिपुर्ण उपयोग उपभोग में बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न करने अथवा अवैध निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। इसी प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है। यदि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित नही किया गया तो अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर विवादित भूमि को हडपने में सफल हो जाऐगें जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसका द्रव्य मे मुल्यॉकन किया जाना असम्भव होगा तथा प्रार्थी को अन्य विवादो मे उलझना पड जायेंगा। इसलिए न्यायहित मे मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में एवम् अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रसारित किया जाना आवश्यक है कि वह स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधी, एजेन्ट विवादित भूमि में प्रार्थी के शांतिपुर्वक कब्जे काश्त, कृषि कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न नही करें, विवादित भूमि में अवैध निर्माण नही करे। उक्त भूमि में प्रवेश नहीं करें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में एवम् अपार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जाये कि ग्राम मियाना पटवार हल्का मियाना तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की खसरा संख्या 578

रकबा 3.76है. कृषि भूमि मे प्रार्थी के शांतिपुर्वक कब्जे काश्त, कृषि कार्य मे किसी भी प्रकार की बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न नही करें, विवादित भूमि में अवैध निर्माण नही करे। उक्त भूमि में प्रवेश नही करें, ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों अथवा एजेन्टो से करावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से श्री पद्युम्न शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगढत एवं काल्पनिक पेश किया गया है प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आरोप–प्रत्यारोप आरोपित किया गया है व आधारहीन है विभाग द्वारा प्रार्थिया के एतत: प्रार्थना पत्र को जो की मनगढत एवं काल्पनिक होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता ने क्रमश: प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ग्राम मियाना पटवार हल्का मियाना तह0 पीपल्दा के ख0नं0 578 रकबा 3.76है0 पर मुताबिख वर्तमान जमाबन्दी खातेदार कृषक अंकित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे प्रार्थी को ऐसी कोई क्षति कारित होना संभाव्य हो जिसकी क्षतिपूर्ति मुद्रा से संभव नहीं हो। प्रार्थी द्वारा वन विभाग द्वारा खातेदारी भूमि के उपभोग–उपयोग में व्यवधान उत्पन्न होना बताया है परन्तु ऐसा कोई प्रमाण कथन के समर्थन प्रस्तुत नहीं किया है इस कारण सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। केवल अभिकथनों के आधार पर राजकीय विभाग के विरूद्ध अकारण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थना पत्र मेरिट के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा